

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 29

दिनांक : 04.06.2025

:: संशोधित कार्यालय आदेश बाबत रिमाण्ड ड्यूटी ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं नगेन्द्र सिंह, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पूर्व में जारी रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 28 दिनांक 26.05.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित दिनांक को प्रथम, द्वितीय व तृतीय जोन रिमाण्ड ड्यूटी हेतु पूर्व अधिकृत अधिकारी के बजाय उक्त राजकीय अवकाशों में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य) को निम्नानुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	क्षेत्राधिकारिता	पुलिस आरक्षी केन्द्र
01	07.06.2025 व 08.06.2025	प्रथम, द्वितीय व तृतीय जोन कनिष्ठा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर, भीलवाड़ा मो.न. 98877-03945	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्याय क्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाने
02	14.06.2025 व 15.06.2025	प्रथम, द्वितीय व तृतीय जोन श्री सुभाष चन्द्र कोठिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, भीलवाड़ा मो.न. 85609-57778	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्याय क्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाने

निर्देश :-

01. अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा।
02. अधिकृत किए गए न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
03. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
04. नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा (राज.))

क्रमांक : 1348

दिनांक : 04.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र।
3. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय भीलवाड़ा।
4. अक्षयक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा।
5. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, भीलवाड़ा।
6. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, भीलवाड़ा।
7. जिला कारागृह, भीलवाड़ा।
8. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
9. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा (रजि.)